न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 35/2026

श्री चिरंजीलाल निवासी म.न. 145, आर के पुरम, एनआर सीतापुरा रेलवे आवर ब्रिज टोंक रोड सीतापुरा सांगानेर जयपुर पिन 302022 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.05.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

01. ग्राम उसमानपुरा पोस्ट झुंडवा तहसील उनियारा जिला टोक की आबादी भूमि (Abadi Land) का अधदतन एवं अधिकृत विवरण उपलब्ध कराया जाए।
02. उपरोक्त ग्राम की आबादी भूमि का नक्शा (लाल डोरा/ आबादी नक्शा/शजरा) प्रमाणित प्रति सहित उपलब्ध कराई जाए।
03. ग्राम की आबादी भूमि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक रास्तों, गलियों, मार्गों, चौकों का विवरण (लंबाई–चौडाई सहित) प्रदान किया जाए।
04. आबादी क्षेत्र में दर्ज रास्तों/मार्गो से संबन्धित खसरा संख्या/नक्शा संदर्भ उपलब्ध कराया जाए।
05. यदि उपरोक्त रास्तों/मार्गो में से किसी का रिकॉर्ड में परिवर्तन / हटाव/अतिक्रमण दर्ज हैं, तो उसका विवरण आदेश/तिथि सहित दिया जाए।
06. संबंधित अभिलेख किस कार्यालय/विभाग के अधीन है, उसका विवरण भी बताया जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 534 दिनांक 19.03.2026, 719 दिनांक 9.04.2026 व 809 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक